



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2308]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934

No. 2308]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

का.आ. 2802(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ (3) में मद (2) और मद (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ (2) श्री गणेश नारायण राउल
(3) श्रीमती नीना कुलकर्णी ”;

(ii) क्रम सं. 66 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (1) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ (1) श्री राज कुमार यादव ”;

(iii) क्रम सं. 67 के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“मैसर्स स्टैंडर्ड एनालिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्राइवेट लिमिटेड, 69, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ।”;

(ख) स्तंभ (3) में, मद (1), मद (2) और मद (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- “ (1) श्री सोम सिंह
 (2) श्री संतोष कुमार सिंह
 (3) श्री मिथुन कुमार बिस्वास” ।

(iv) क्रम सं. 79 के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“मैसर्स एसवी एनवायरो लैब्स एंड कंस्ट्रक्टेड्स, बी 1, ब्लॉक-बी, आईडीए आटो नगर, विशाखापटनम-530012 ।”;

(v) क्रम सं. 80 के सामने,-

(ख) स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“मैसर्स अल्ट्रा-टेक इन्वायर्समेंटल कंस्ट्रक्टेसी एंड लेबोरेट्री, 93ए, हिस्सा सं. 02, जी.वी.ब्रदर्स, बाटा कंपाउंड, खोपत, नियर फ्लॉवर वैली, ठाणे (डब्ल्यू)-400601 महाराष्ट्र ।”;

(vi) क्रम सं. 81 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (2) और मद (3) पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- “(2) श्री मिलादरी दासगुप्ता
 (3) श्री गौरव कुमार शर्मा”;

(vii) क्रम सं. 85 के सामने,

(क) स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“मैसर्स साफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रुमेंट्स लेबोरेट्रीज, सोसाइटी, थापर टेक्नालाजी कैंपस, भइसोन रोड, पटियाला-147004 (पंजाब) ।”;

(ख) स्तंभ सं. (3) में, मद (2) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(2) श्री संदीप चन्द्र” ;

(viii) क्रम सं. 92 के सामने, स्तंभ (2) में, मद (1) और मद (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) सुश्री आशिका बी.आवती

(3) श्रीमती सिधु कुमारी” ।

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्तर्वती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा किए गए :-

1. का.आ. 1539 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2007 ;
2. का.आ.सं. 1811 (अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007 ;
3. का.आ.सं. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008 ;
4. का.आ.सं. 428 (अ), तारीख 4 मार्च, 2008 ;
5. का.आ.सं. 865 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008 ;
6. का.आ.सं. 1894 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2008 ;
7. का.आ.सं. 2728 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2008 ;
8. का.आ.सं. 1356 (अ), तारीख 27 मई, 2009 ;
9. का.आ.सं. 1802 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 ;
10. का.आ.सं. 2399 (अ), तारीख 18 सितंबर, 2009 ;
11. का.आ.सं. 3122 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009 ;
12. का.आ.सं. 3123 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009 ;
13. का.आ. सं. 142 (अ), तारीख 21 जनवरी, 2010 ;
14. का.आ.सं.619 (अ), तारीख 19 मार्च, 2010 ;
15. का.आ. सं. 1662(अ) तारीख 13 जुलाई, 2010 ;
16. का.आ.सं.2390 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2010 ;
17. का.आ. सं. 2904 (अ) तारीख 8 दिसंबर, 2010 ;
18. का.आ.सं. 181(अ), 6 जुलाई, 2011 ;
19. का.आ. सं. 1754 (अ) तारीख 28 जुलाई, 2011 ;
20. का.आ.सं. 2609, तारीख 22 नवंबर, 2011 ;
21. का.आ. सं.264(अ), तारीख 13 फरवरी, 2012 ;
22. का.आ.सं. 1150 (अ), तारीख 22 मई, 2012 ;
23. का.आ.सं. 2039(अ) तारीख 5 सितंबर, 2012

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2012

S.O. 2802(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) sub - section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007, namely:-

1. In the Table to the said notification, -

(i) against serial No.12, in column (3), for items (2) and (3) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“(2) Mr. Ganesh Narayan Raul

(3) Smt. Neena Kulkarni”;

(ii) against serial No.66, in column (3), for item (1) and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“(1) Shri. Raj Kumar Yadav”;

(iii) against serial No.67,-

(a) in column (2), for the existing entry, the following shall be substituted namely:-

“M/s Standard Analytical Laboratory (ND) Pvt. Ltd., 69, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi - 110 092.”;

(b) in column (3), for items (1), (2) and (3) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“(1) Mr. Som Singh

(2) Mr. Santosh Kumar Singh

(3) Mr. Methun Kumar Biswas”;

(iv) against serial No.79,-

(a) in column (2), for the existing entry, the following shall be substituted namely:-

“M/s SV Enviro Labs and Consultants, B 1, Block -B, IDA Auto Nagar, Visakapatnam - 530 012.”;

(v) against serial No.80,-

(b) in column (2), for the existing entry, the following shall be substituted namely:-

“M/s Ultra-Tecn Environmental Consultancy and Laboratory, 93 A, Hissa No.02, G.V.Brothers, Bata Compound, Khopat, Near Flower Valley, Thane (W) - 400 601 Maharashtra.”;

(vi) against serial No.81, in column (3), for items (2) and (3) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“(2) Mr. Miladari Dasgupta

(3) Mr. Gaurav Kumar Sharma”;

(vii) against serial No.85,

(a) in column (2), for the existing entry, the following shall be substituted namely:-

“ M/s Sophisticated Analytical Instruments Laboratories Society, Thapar Technology Campus, Bhadson Road, Patiala - 147 004 (Punjab).”;

(b) in column (3), for item (2) and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“(2) Mr. Sandip Chandra”;

(viii) against serial No.92, in column (3), for items (1) and (3) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

“(1) Ms. Ashika B. Avati

(3) Mrs. Sindhu Kumari”.

[F. No. Q.-15018/7/2003-CPW]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* :-

1. S.O. 1539 (E) dated the 13th September, 2007;
2. S.O. 1811 (E) dated the 24th October, 2007;
3. S.O. 55 (E) dated the 9th January, 2008;
4. S.O. 428 (E) dated the 4th March, 2008;
5. S.O. 865 (E) dated the 11th April, 2008;
6. S.O. 1894 (E) dated the 31st July, 2008;
7. S.O. 2728 (E) dated the 25th November, 2008;
8. S.O. 1356 (E) dated the 27th May, 2009;
9. S.O. 1802 (E) dated the 22nd July, 2009;
10. S.O. 2399 (E) dated the 18th September, 2009;
11. S.O. 3122 (E) dated the 7th December, 2009;
12. S.O. 3123 (E) dated the 7th December, 2009;
13. S.O. 142 (E) dated the 21st January, 2010;
14. S.O. 619 (E) dated the 19th March, 2010;
15. S.O. 1662 (E) dated the 13th July, 2010;
16. S.O. 2390 (E) dated the 30th September, 2010;
17. S.O. 2904 (E) dated the 8th December, 2010;
18. S.O. 181 (E) dated the 28th January, 2011;
19. S.O. 1754 (E) dated the 28th July, 2011;
20. S.O. 2609 (E) dated the 22nd November, 2011;
21. S.O. 264 (E) dated the 13th February, 2012;
22. S.O. 1150 (E) dated the 22nd May, 2012 and
23. S.O. 2039 (E) dated the 5th September, 2012.